

UPBH010010432026



न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट), बहराइच।
मु०सं०-273/2026

मु०अ०सं०-1120/2022

सरकार -----बनाम-----महफूज अहमद

धारा-135-1(ए) वि०अधि०

थाना-एंटी पावर थेफ्ट, जिला बहराइच।

15-04-2026

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्त महफूज अहमद पुत्र अब्दुल मन्नान की तरफ से प्रार्थना-पत्र मय शमन शुल्क/राजस्व निर्धारण जमा रसीद प्रस्तुत किया गया है एवं विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग में शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण जमा किया जा चुका है। कोई बकाया शेष नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क धनराशि-2,000/- रुपए, राजस्व निर्धारण के रूप में मु०-5,979/- रुपए दिनांक-24.01.2026 को व मु०-53,804/- रुपए दिनांक-10.04.2026 को विभाग में जमा कर दिया गया है। अतः भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-152 की उपधारा-3 के तहत अपराध को प्रशमनित मानते हुए अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त महफूज अहमद पुत्र अब्दुल मन्नान को मुकदमा अपराध संख्या-1120/2022 अन्तर्गत धारा-135-1(ए) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, थाना-एंटी पावर थेफ्ट, जिला बहराइच से दोषमुक्त किया जाता है। यदि इस प्रकार अभियुक्त महफूज अहमद पुत्र अब्दुल मन्नान पर विद्युत विभाग का कोई अन्य देय अवशेष हो तो विद्युत विभाग उक्त अभियुक्त से नियमानुसार वसूलने/कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,

बहराइच।

J.O. Code-6414